

अमृत सागर तालाब संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत 12.43 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यो आज होगा शुभारंभ

रतलाम 21 अप्रैल । अमृत सागर तालाब संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत 12.43 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यो शुभारंभ विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप के मुख्य आतिथ्य में सांय 04:00 बजे अमृत सागर स्थित गढ़ कैलाश मंदिर के पास विधिवत् पूजा-अर्चना कर किया जायेगा जिसमें जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक उपस्थित रहेंगे।

अमृत सागर तालाब संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत 1.105 करोड़ से तालाब की स्टोन पिचिंग एवं गेबियन वॉल निर्माण, 48.56 लाख की लागत से बोहरा बाखल नाला डायवर्जन, 2.239 करोड़ की लागत से कंसट्रक्टेड वेटलैंड, 2.37 करोड़ से पेरेफेरल सेनिटेशन एवं वाटर सप्लाई, 2 नग टायलेट ब्लॉक, इलेक्ट्रीक कनेक्शन, सीसीटीवी कनेक्शन, सब स्टेशन आदि, 1.462 करोड़ से तालाब के चारो ओर बॉउण्ड्रीवॉल का निर्माण, 4.41 करोड़ से एंटरेंस गेटवे, पेरेफेरल रोड, फुटपाथ, पार्किंग एरिया, दुकानें, गजिबों, साईट डेवलपमेंट रेस्ड गार्डन, आरसीसी रिटेनिंग वॉल, 35.60 लाख से नागरिक जागरूकता संबंधी गतिविधियां, वॉच टॉवर एवं एडमिन ऑफिस निर्माण इस तरह कुल 12.43 करोड़ राशि के निर्माण कार्यो का शुभारंभ किया जायेगा।

ग्रीन रतलाम – क्लीन रतलाम गीत-गायन प्रतियोगिता आज आज 22 अप्रैल दोपहर तक प्रतियोगी करा सकते है पंजीयन

रतलाम 21 अप्रैल । विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर रतलाम को स्वच्छ व सुंदर बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की थीम पर स्वरचित स्वच्छता गीत और इसके गायन की स्पर्धा का आयोजन आज 22 अप्रैल को कर रहा है। इस प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व उपायुक्त श्री विकास सोलंकी के निर्देशन में आयोजित होने वाली गीत गायन प्रतियोगिता जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान ग्रीन रतलाम – क्लीन रतलाम की थीम पर प्रतियोगियों को स्वरचित गीत का गायन पावर हाउस रोड स्थित लायन्स हाल में 22 अप्रैल शुक्रवार को शाम 5 बजे से आयोजित कार्यक्रम में करना होगा।

प्रतियोगिता में सफल रहे प्रतियोगियों को नकद राशि के साथ ही शील्ड व प्रमाणपत्र भेंट किए जाएंगे।

गीत गायन स्पर्धा में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी आज 22 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक व्हाटएप नम्बर 9229575956 पर अपना पंजीयन करा सकते है।

सीएम हेल्प लाईन शिकायतों के निराकरण में नगर निगम रतलाम 96.07 वेटेज स्कोर प्राप्त कर बना प्रदेश में नम्बर-1

रतलाम 21 अप्रैल । नगर निगम से संबंधित सीएम हेल्प लाईन पर नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों के निराकरण में रतलाम नगर निगम को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ ।

सीएम हेल्प लाईन में दर्ज शिकायतों के निराकरण के तहत नगर निगम रतलाम 641 शिकायतें निराकरण में संतुष्टि के साथ बंद शिकायतों का वेटेज 56.16 (50 प्रतिशत), 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 9.91 (10 प्रतिशत), निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों का वेटेज 10 (10 प्रतिशत), नोट अटेडेंट शिकायतों का वेटेज 10 (10 प्रतिशत), मान्य/अमान्य शिकायतों का वेटेज 10 (10 प्रतिशत) तथा कुल वेटेज स्कार 96.07 प्राप्त कर प्रदेश में नम्बर 1 बना ।

सीएम हेल्प लाईन शिकायतों निराकरण में नगर निगम रतलाम को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को बधाई प्रेषित कहा कि आगे भी इसी प्रकार कार्य कर रतलाम नगर निगम को प्रथम पायेदान पर बनायें रखें ।

21 अप्रैल गुरुवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 239 ट्रीप 106 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 21 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 21 अप्रैल गुरुवार को 106 मीट्रिक टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया ।

21 अप्रैल गुरुवार को डम्पर से 30070 किलो, ट्रेक्टर से 6640 किलो, मैजिक सूखा कचरा 45545 किलो, मैजिक गीला कचरा 23825 किलो, सेनेटरी कचरा 3.1, घरेलू हानिकारक कचरा 2.5 किलो इस तरह कुल 106085.6 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया ।

खुले में यूरिन करने पर 4 व्यक्तियों पर जुर्माना

झोन प्रभारी का वेतन रोका व दरोगा का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 21 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 33 में 4 व्यक्ति खुले में यूरिन करते पाये जाने पर दरोगा प्रेमचन्द्र फतरोड 7 दिवस का वेतन काटा गया व झोन प्रभारी श्री किरण चौहान का माह अप्रैल का वेतन रोका जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया साथ ही खुले में यूरिन करने वाले हर्षद इंदुकर पर 500, मेघराज पर 300, शांतिलाल पर 100 व रंजीत पर 50 रुपये का जुर्माना किया गया ।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम में खुले में शौच व यूरिन करना प्रतिबंधित किया गया इसके बाद भी वार्ड क्रमांक 33 में 3 व्यक्ति खुले में यूरिन करते पाये जाने पर झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई।

4 ड्रायवर व 15 हैल्पर का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 21 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार बिना सूचना के 21 अप्रैल को अनुपस्थित कचरा संग्रहण वाहन के 4 ड्रायवर व 15 हैल्परों का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

21 अप्रैल गुरुवार को ड्रायवर सुनील-बैरागी, शुभम् पैमाल, अभिषेक, कैलाश, हैल्पर विशाल-मुकेश, राहूल-दशरथ, तुफान घोसर, सुनील, मुकेश-गोवर्धन, गोपाल-दिलीप, दीपक, मंगेश, सुनील, संदीप, सुमीत, संदीप शिन्दे, ओमप्रकाश, जितेन्द्र बेजू व मुकेश द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये

रात्रिकालिन सफाई के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 21 अप्रैल । शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा 20 अप्रैल बुधवार को निरीक्षण किये जाने पर दीपक-पूनमचन्द, हीरालाल-श्यामलाल, विकास-पप्पू, महेन्द्र-राजेन्द्र, गौरव-राजेन्द्र व शेखर-मदनलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

24 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 21 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवेक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 21 अप्रैल को प्रातः 11 व दोपहर में 13 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

21 अप्रैल गुरुवार को झोन क्रमांक 1 में बादल-दिलीप, अजय-विनोद, विजय-फुलचन्द, अनिल-अर्जून, विजय-सुरेश, झोन क्रमांक 2 में रवि-सुरेश, दीपक-अन्नी, मोहित-गोपाल, रमेश-मुंशी, झोन क्रमांक 3 में मुकेश-गोवर्धन, झोन क्रमांक 4 में पवन-हुक्मीचन्द, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 2 में अरूणाबाई पति रामसिंह, भागाबाई पति बसंतीलाल, शारदाबाई पति राजेश, महेन्द्र-नेहरू, मनुबाई पति किशोर, श्यामाबाई पति रामलाल, शिवकन्याबाई पति रमेश, राकेश-रामप्रसाद, अनिताबाई पति दीपक, झोन क्रमांक 3 में संगीताबाई पति कमल,

मायाबाई पति प्रभुदयाल, सुमनबाई पति भारत, मुन्नीबाई पति ईश्वर इस तरह 24 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलंबन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलंबन की कार्यवाही की जायेगी।

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 21 अप्रैल । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 21 अप्रैल गुरुवार को 8 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार बादशाह रेडियेटर, निर्मल, श्री कृष्णा रेस्टोरेंट, हर्षल इंदुकर पर 500-500, मेघराज पर 300, भेरूलाल पर 250, शांतिलाल पर 100 व रंजीत पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा के निर्देशन में स्पॉट फाईन दल द्वारा की गई।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 21 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र नागरिक मो०नं० 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 21 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते हैं।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 21 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना-पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/- एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/- प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/- रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 21 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजोयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व ज्ञोन प्रभारियां को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित ज्ञोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व ज्ञोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो ज्ञोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 21 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली,

सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/21.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम.